E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(2): 56-59
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 25-06-2024
Accepted: 30-07-2024

भवानी मल खटीक
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी, राजस्थान, भारत

डॉ. बी.एल. सैनी
प्रोफेसर, शोध पर्यवेक्षक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
भवानी मल खटीक
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी, राजस्थान, भारत

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात महिला शिक्षा हेतु प्रयास

भवानी मल खटीक, बी.एल. सैनी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i2a.422

सारांश
मध्यकालीन भारत को 'स्त्री युग' का पतन काल कहा जा सकता है क्योंकि स्त्रियों की दशा की दृष्टि से यह अंध युग था। मध्यकाल में विदेशी आक्रमण हुए उसका परिणाम यह निकला कि महिलाओं की प्रस्थिति का पतन हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों में विशेषकर मुसलमान आक्रमणकारी जब भारत आए तब अपने साथ वे अपनी संस्कृति भी लाए। इस काल में महिलाएं मात्र सम्पत्ति ही समझी गई। जिस पर उसके पिता, पति, भाई एवं पुत्र का अधिकार होता था। महिलाओं की स्वयं की न तो कोई इच्छा होती थीं और न ही कोई अधिकार, तब उन्हें पर्दे में रहना होता था। तब उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता या बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। जैसा कि इस काल में अनेक कुरीतियों का प्रचलन हुआ। जैसे–बालविवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, विधवापुनर्विवाह निषेध आदि। मध्यकालीन भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं की तुलना में हिन्दू महिलाओं की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय थीं। उन्हें किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थीं। उनका जीवन घर की चहारदीवारी तक ही सीमित था। स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात देश में शिक्षा और विशेषकर महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाने लगा। इस विषय पर गहन विचार हेतु अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की गई। शिक्षाविदों ने इनकी सिफारिशों को कार्यरूप देने हेतु महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया। जिस कारण भारतीय महिलाओं की स्थिति में धिरे–धिरे सुधार होने लगा।

कुटशब्दः बालविवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, विधवापुनर्विवाह, अंधयुग, आक्रमणकारियों, शिक्षा, स्वतंत्रता

प्रस्तावना
भारत में महिला स्थिति सुधारनें के लिए महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना जरूरी समझा जाने लगा तभी से महिला शिक्षा को बढ़ावा दने के लिए सरकार/कानून के तरफ से महिला शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने अपनी निम्न अनुशंसाएं प्रस्तुत की, जिन्हें निम्न सारणी–0.1 द्वारा स्पष्ट किया गया है

महिला उत्थान एवं पंचवर्षीय योजनाएँः देश के नेताओं ने स्वतन्त्रता के पश्चात राष्ट्रीय प्रगति हेतु पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई ताकि देश का योजनाबद्ध रूप से विकास हो सकें। स्पष्ट है इस विकास कार्य में स्त्रियों के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित की गईं जिससे वे भी विकास का लाभ उठा सकें तथा विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें। सन् 1951 से वर्तमान समय तक की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

1. **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56):** यह योजना लोककल्याण से सम्बन्धित थीं। अतः इसमें स्त्रियों के विकास एवं कल्याण हेतु विशेष ध्यान दिया गया। केन्द्रीय समाज लोककल्याण बोर्ड द्वारा यह कार्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम (राष्ट्रीय वृहद् सेवा योजना) भी प्रारम्भ की गई। जिसके द्वारा भी महिला उत्थान से सम्बन्धित कार्यो को प्रमुखता दी गई।
2. **द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61):** इस योजना के अन्तर्गत महिला मण्डलों का निर्माण किया गया, जो स्थानीय स्तर पर कार्य करते थें। इनके द्वारा महिलाओं से सम्बंधित अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।
3. **तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाएं (1961–66, 1969–74, 1974–79):** इन योजनाओं में महिला शिक्षा को विशेष प्रमुखता दी गई। इसके साथ ही माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष आहार का प्रबन्ध किया गया तथा छोटे बच्चों के लिए माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य आहार का भी प्रावधान किया गया।
4. **षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1980–85):** महिला विकास की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि इस योजना में पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्त्रियों के रोजगार, तीनों पर विशेष ध्यान दिया गया।

5. **सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985–90):** इस योजना में पुरानी सभी योजनाओं को जारी रखा गया तथा इस बात का भी पर्याप्त प्रयास किया गया कि स्त्रियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हो जिससे वे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में आ सकें। इस योजना में इस बात पर भी अधिक बल दिया गया कि ऐसी योजनाएं निर्मित हो जिनका लाभ प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों को मिलें।
6. **अष्टम पंचवर्षीय योजना (1992–97):** इस योजना में इस बात का ध्यान रखा गया कि अब तक की योजनाओं के लाभ से कहीं स्त्रियाँ वंचित न रह जाएँ इसी को ध्यान में रखते हुए उनके विकास हेतु विशेष योजनाएँ बनाई गई। योजनाकर्ताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि स्त्रियों को मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लाभ में निरन्तरता बनी रहे और उनका ठीक से ध्यान रखा जाए। इस बात का भी प्रयास किया गया कि स्त्रियां विकास के कार्यो में समान रूप से सहभागी बनें एवं स्थानीय संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। संक्षेप में, इस योजना का उद्देश्य स्त्रियों को विकास से ऊपर उठाकर उनका सशक्तिकरण करना था।
7. **नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002):** इस योजना का कार्यक्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत था। प्रथम, इसमें स्त्रियों के सशक्तिकरण पर बल दिया गया। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी विकास का लाभ मिलें और वे विकास की इस दौड मे कहीं पिछड़ न जाए। द्वितीय, स्त्रियों के लिए अनेक संस्थानों में सहभागिता के अवसर सुनिश्चित किए गए। जैसे–पंचायतीराज संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups)। तृतीय, इस बात का प्रयास किया गया कि स्त्रियां स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। चतुर्थ, स्त्रियों को अन्य क्षेत्र की सेवाओं का लाभ दिलवाया जाए और पंचम, यह सुनिश्चित किया गया कि केन्द्र व राज्य स्तर पर योजनाओं में स्त्रियों की भागीदारी हों।
8. **दशम पंचवर्षीय योजना (2002–2007):** इस योजना में स्त्रियों को सूचना प्रौद्यौगिकी एवं अन्य सेवाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया गया जिससे कि लिंग–समानता के उद्देश्य की प्राप्ती हो सकें।
9. **एकादशम पंचवर्षीय योजना (2007–12):** इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास विशेष बजट की राशि उपलब्ध कराई गई जिससे महिलाओं के विकास में निरन्तरता बनी रहें और वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
10. **द्वादशम पंचवर्षीय योजना (2012–17):** राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं के मध्य संगतता सुनिश्चित करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योजना आयोग द्वारा समग्र राष्ट्रीय विकास हेतु लक्ष्य तय किए गए थें।

सारणी 1: स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की प्रगति हेतु किए गये प्रयास

क्र.सं.	आयोग / समिति / योजना	उद्देश्य / सुझाव
1.	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)	महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं, साथ ही गृह प्रबन्धन की शिक्षा प्राप्ती हेतु प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए।
2.	माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)	माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों के खोलने के साथ ही गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था हेतु सुझाव दिए।
3.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958–59)	महिलाओं में शिक्षा के प्रसार हेतु समिति का गठन।
4.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959–60)	इस समिति का उद्देश्य महिला शिक्षा के सम्बन्ध में जनमत तैयार करना था। सन् 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया।
5.	भक्त–वत्सलम् समिति (1963–65)	महिलाओं की शिक्षा के प्रति जनसहयोग में कमी के कारणों का पता लगाया।
6.	हंसा मेहता समिति (1964–65) एवं एक कोठारी आयोग (1964–66)	बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।
7.	राष्ट्रीय शिक्षा–नीति (प्रथम)	बालक और बालिकाओं को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया।
8.	फूलरेनू गुहा समिति (1974)	सभी स्तरों पर सहशिक्षा विद्यालयों की स्थापना करना।
9.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (द्वितीय) (1986)	महिलाओं में शिक्षा के विस्तार हेतु गतिशील प्रबन्धकीय ढांचे का निर्माण करना।
10.	जनार्दन रेड्डी समिति (1992)	महिलाओं को शिक्षा प्राप्ती हेतु विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाना।
11.	कस्तूरबा गाँधी योजना (1997)	महिला साक्षरता दर में वृद्धि तथा विशेष विद्यालयों की स्थापना।
12.	सर्व शिक्षा अभियान (2000)	6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त करना व बालिका शिक्षा और उनकी विशेष जरूरतों खास ध्यान देना।
13.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (2003)	अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना।
14.	कस्तूरबां गाँधी विद्यालय योजना (2004)	बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना।
15.	महिला समाख्या कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिक पहुंच और उपलब्धियों के विषय में कायम परम्परागत लैगिंक असमानता का निराकरण करना है।
16.	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015)	इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिये किया गया था।

स्रोत : क्रानिकल, जून, 2012 और https://en.wikipedia.org

महिलाओं में शिक्षा–उत्थान हेतु कार्यक्रम

1. **साक्षर भारतः** महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य सरकार की सम्पूर्ण नीति और सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु महिला साक्षरता को आवश्यक शर्त मानने के कारण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को एक कार्यक्रम के रूप में महिला साक्षरता हेतु पुनः आरम्भ किया गया तथा इसका नामकरण 'साक्षर भारत' किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साक्षर भारत के रूप में आरम्भ करने का मुख्य लक्ष्य 'महिला शिक्षा' होगा। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में साक्षरता के लिए 15 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला को ध्यान में रखते हुए 'साक्षर भारत' को सरकार ने महत्वपूर्ण (फ्लौशिप) कार्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किया है। मिशन का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को

साक्षर करना है लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समूह भी इसके केन्द्र में होंगे।

2. **महिला समाख्या योजना :** महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए वर्ष 1989 में शुरू की गई। एन.पी.ई. 1986ई. के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरूआत हुई थी। महिला संघ, गाँव स्तर पर महिलाओं को मिलने, सवाल करने और अपने विचार रखने तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अतिरिक्त अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का स्थान मुहैया कराता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–
   - महिलाओं की आत्मछवि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना।
   - ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके जिससे वे समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके।
   - प्रबन्धन की विकेन्द्रीकृत तथा सहभागी पद्धति तैयार करना।
   - महिलाओं तथा किशोरियों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना एवं औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं तथा बालिकाओं की अधिक सहभागिता प्राप्त करना।

3. **महिला शिक्षा के लिए कन्डेन्स्ड (Condensed) पाठ्यक्रम**–इस कार्यक्रम पर अमल केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य, शिक्षा तथा कौशल उपलब्ध कराकर महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारिता उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यह योजना 15 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए है।
4. **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना**–इस योजना में प्राथमिक स्तर पर उन बड़ी लड़कियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जो या तो स्कूल नहीं जाती या फिर प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण नहीं कर पाई हों। कुछ दुर्गम क्षेत्रों में कम उम्र की बालिकाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। जहाँ स्कूल काफी दूर होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए चुनौती की वजह से अपनी पढ़ाई अक्सर छोड़ देने वाली लड़कियों को ध्यान में रखते हुए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
5. **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति–** 1986 ई. में प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' है। योजना की क्रियान्विति राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है। महिला शिक्षा की विशेष व्यवस्था हेतु विभाग ने विद्यमान योजनाओं के अधीन महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अधीन संशोधित नीति निर्धारण में यह शर्त है कि भविष्य मे नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।
6. **छात्रावास योजना–** छात्रावासों के निर्माण की योजना का संचालन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बालिकाएं माध्यमिक शिक्षा का लाभ उठा सकें।
7. **अनौपचारिक बालिका शिक्षा केन्द्र–** मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनौपचारिक शिक्षा योजना के अधीन ऐसे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हैं जो केवल बालिकाओं के लिए है 90 प्रतिशत सहायता दी जाती है। बालिकाओं के अनौपचारिक केन्द्रों का संचित योग 1.18 लाख है।
8. **यूनिसेफ महिला श्रमिक विद्यापीठ :** वर्ष 1992 के दौरान श्रमिक विद्यापीठ के बहुत संयोजक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने हेतु चुनिंदा श्रमिक विद्यापीठों को विशेष सहायता प्रदान की। प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ द्वारा एक हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को साक्षर बनाया गया।

महिलाएं एवं संवैधानिक प्रावधान : लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अधीन भारत के संविधान मे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रत्यक्षण पग–पग पर होता है। मानवीय मूल्य, संवेदनाओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन संविधान के भाग–3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से पुष्ट होता है इसी सर्वोच्च अधिकार के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति का कथन था कि ''मैं यह धारित करने मे असमर्थ हूँ कि यह अधिकार नैसर्गिक या असक्रंमणीय नहीं है। वास्तव में भारत, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का पक्षकार था तथा उक्त घोषणा, कुछ मौलिक अधिकारों का असंक्रमणीय वर्णित करती है।''

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, 23, 14, 15(1), 32, 22, 20(1), 19(1)(घ), 25(1)(ख), 16(1), 29(1), 19(1)(ग) तथा इसी तरह कुछ अन्य भारतीयजन (महिला एवं पुरूष) को महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च मानवीय मूल्य–संवर्द्धन के अधिकार प्रदान करते हैं। जिससे मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की अवधारणा का अनुकूलन तथा अनुशीलन सार्थकता को प्राप्त होता है। व्यापक अधिकारों का समावेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया है कि अनुच्छेद–21 की परिधी बड़ी ही व्यापक है तथा इन्हें निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है जिनमें महिलाओं हेतु विशिष्ट प्रावधान है– विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार, कई लोगों द्वारा बलात्कार, कार्य करने वाली महिलाओं के विरूद्ध लैगिंक सन्ताप, कार्य करने वाली महिलाओं के कार्य–स्थल पर उनके साथ अभद्र व्यवहार आदि इसी तरह बहुत से अन्य अधिकाधिक क्षेत्र अनुच्छेद–21, के अन्तर्गत आते हैं।

महिलाओं के सन्दर्भ में विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र (1984) तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र (1948) तथा राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम 1990 व्यवहार में लाया गया। चूंकि हर जाति संवर्ग में पुरूषवत् महिलाओं की भागीदारी है। ऐसे में मानव अधिकार के संरक्षण के निमित्त जो अन्य आयोग अधिनियमित है, ने भी भारतीय महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया है। ये अधिनियम हैं–

1. नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम (1955),
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम (1989),
3. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम (1990),
4. सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम (1993),
5. अयोग्यताओं सहित व्यक्तियों का अधिनियम (1993),
6. पिछडे वर्ग के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम (1993)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के व्यवहार में आने से पूर्व ही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैश्विक प्रस्थिति को बेहतर दिशा एवं दशा देने हेतु संसद ने 1990 ई. में 'महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम' पारित किया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 30 अगस्त 1990 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम के प्रावधानों के तहत् जनवरी 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम का प्रसार जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में है। महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन में अध्यक्ष (केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित) तथा पांच सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एंव जनजाति का व्यक्ति होता है।

यह व्यवस्था एक्ट की धारा 3 में है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल केन्द्र सरकार निश्चित करती है, जो पाँच वर्षो से अधिक नहीं होगा। यह व्यवस्था अधिनियम की धारा 4(1) में उपबन्धित है। धारा 8(1) के अनुसार–कमीशन विशेष मामलों में निपटारे के लिए समितियाँ नियुक्त कर सकती है। अधिनियम के तहत कमीशन के कार्य निम्न हैः–

- संविधान तथा अन्य विधिक प्रक्रिया में महिला सुरक्षा सन्दर्भित सभी मामलों की खोजबीन एवं जांच,
- सुरक्षा–विषयक कामकाज की वार्षिक तथा अन्य रिपोर्ट जिसे आयोग–सम्यक् समझे, केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करें,
- महिला दशा में सुधार हेतु उक्त रिर्पोटों में सुरक्षा के प्रभावों के कार्यान्वयन हेतु संस्तुतियां देना,
- यथा समय सांविधानिक एवं अन्य विधिक उपबन्धों का परीक्षण करना, साथ ही किसी विधायी उपाय में कमी या अनुपयुक्तता के बारे में संशोधनों की संस्तुति देना,
- महिला सन्दर्भित संविधान तथा अन्य विधियों के उपबन्धों के उल्लंघनों को उपयुक्त प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना,
- निम्न शिकायतों का प्रत्यक्षण, यथा –
  - महिलाओं के अधिकारों का वंचितीकरण,
  - महिलाओं के संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का कार्यान्वयन न होना तथा समानता एवं विकास के उद्देश्य की प्राप्ती।
  - महिलाओं के कल्याणार्थ तथा उन्हें अनुतोष प्रदानार्थ सम्बन्धित नीति निर्णय मार्गदर्शन या निर्देशों का अनुपालन न होना तथा ऐसे मामलो को उपयुक्त प्राधिकारी के पास ले जाना।
- महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचारों से उत्पन्न समस्याओं, स्थितियों पर विशेष अध्ययन या खोजबीन करना, जिससे उनके निवारणार्थ रणकौशल की संस्तुतियाँ दी जाये।
- महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व, उन्नति में बाधक तत्वों या कारणों के पहचान हेतु प्रोन्नति एवं शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान कार्य,
- संघ तथा राज्य की महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन,
- सामाजिक, आर्थिक विकास बिन्दु पर योजना मे भाग लेना एवं सलाह देना,
- जेल या प्रतिप्रेषण गृह की जांच करना या करवाना। साथ ही महिलाओं की संस्था या हिरासत के अन्य स्थान जहाँ महिलाएँ कैदी के रूप में हो या रखी जाती हों, की जांच करना या करवाना तथा उपचारार्थ मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के पास ले जाना।
- बड़ी संख्या में प्रभावित होने वाले वादों से सम्बन्धित किसी भी मामले की कठिनाईयों का आवधिक विवरण सरकार को देना।

वर्ष 8 मार्च 2008 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भारत के पचास वर्षो में 'महिलाओं का विकास' शीर्षक पर खुली विचारगोष्ठी के उद्घाटन में कहा गया कि ''यदि महिलाओं को जानबूझकर बेड़िया नहीं पहनाई जाए और उनको दबाकर नहीं रखा जाए, जैसा कि पिछले 50 वर्षो में किया गया, तो वे स्वयं ही राष्ट्र के निर्माण में आगे आने वाले पचास वर्षो मे महती योगदान देने मे सक्षम है।'' आयोग के अनुसार–शिक्षा ही स्त्री को शोषण, असमानता, अन्याय, दुराचरण एवं उत्पीड़न से बचा सकती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ती के आरम्भिक वर्षों से ही महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाने हेतु अनेकों प्रयास किए गए। शैक्षणिक स्तर पर भी सुधार लाने हेतु अनेक आयोगों तथा समितियों का गठन किया गया जिनके द्वारा महिला शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए। भारतीय संविधान द्वारा भी महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान अधिकार प्रदान किए गये हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा महिलाओं के विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रावधान किये गये हैं। जिसका लक्ष्य महिलाओं को सशक्त कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। किन्तु फिर भी वास्तविक रूप से इस कार्य में पूर्ण सफलता का लक्ष्य हासिल करना अभी शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अल्तेकर, ए., एस., (1962), 'दी पोजिशन ऑफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशंस', मोतीलाल, बनारसी एस., दिल्ली।
2. सूद, सुषमा, (1990), 'वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन्स', अरिहन्त पब्लिशर्स, जयपुर।
3. इमेन्युअल, एम., (1998), 'वीमैन एण्ड डेवलपमेण्ट', कर्णवती पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद, 1998।
4. गुप्त, सं. शिवकुमार, (1999), 'आधुनिक भारत का सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास', पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
5. शर्मा, रजनी, (2007), 'शिक्षा सिद्धान्त और आधुनिक भारत में शिक्षा', शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
6. छापडिया, मनोज, (2008), 'महिला शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता', सीरियल्स पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
7. पाठक, आर., पी., (2010), 'आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएं एवं समाधान', कनिष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
8. अग्निहोत्र, रविन्द्र, (2010), 'आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएं और समाधान', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
9. गुप्ता, आलोक कुमार, भण्डारी, आशा, (2010), 'विमैन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस', ऑथर्स प्रेस, दिल्ली।
10. वर्मा, एल.एन.एवं दोसी, प्रवीण, (2011), 'भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनतंत्र', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।